53

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3285 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–2017 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, रीवा – प्रकरण क्रमांक 51 अ–6/2005–06 अपील

1– अरिमर्दन पुत्र उमाशॅकर मिश्रा
2– नटवार पुत्र उमाशॅकर मिश्रा
दोनों ग्राम पतेरी तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

गणेश प्रसाद पुत्र रमाशॅकर मिश्रा
ग्राम सेंदहाई तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री संतमुनि पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 07 –2018 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला रीवा के प्र0क्र0 51 अ–6/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 168 अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2001 के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष दिनांक 28–12–2005 को अपील प्रस्तुत की गई तथा

अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। **अनुविभागीय अधिकारी** हुजूर ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 28–12–2005 लिखकर प्रकरण दायर किया । दिनांक 28–12–2005 के वाद दिनांक 14–3–2014 के बीच निरन्तर 75 पेशियों पर प्रकरण लिया गया। दिनांक 14–3–2014 को अपीलकर्ता एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरबी में खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 14–3–14 से अदम पैरबी में खारिज हुये प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन आने पर दिनांक 28–7–17 को (3 वर्ष 4 माह से अधिक अवधि उपरांत) प्रकरण पुर्नस्थापित कर लिया गया तथा उत्तरवादीगण के तलब किये जाने के आदेश दिये गये एंव सुनवाई हेतु प्रकरण 18–8–17 की पेशी नियत की गई। इस पेशी पर धारा–5 के आवेदन पर अपीलार्थी की सुनवाई कर प्रकरण 29–8–17 को आदेश हेतु नियत कर दिया तथा दिनांक 29–8–17 को निर्णय लिया कि उत्तरवादगण व्दारा धारा–5 का कोई जवाव भी पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी का धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लेखी तर्को का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी तर्क के साथ अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 51 अ–6/2005–06 अपील के अवलोकन पर स्थिति यह है कि **अनुविभागीय अधिकारी** हुजूर ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 28–12–2005 लिखकर अपील प्रकरण दायर किया । दिनांक 28–12–2005 से निरंतर दिनांक 14–3–2014 तक 75 पेशियों पर प्रकरण लिया गया, जिनमें दिनांक 6–2–2008 से 16–1–2013 के बीचे 26 पेशियों पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर

तैयार की शील (मुद्रा) का प्रयोग कर प्रवाचक ने स्वस्तर से पेशियॉ बढ़ाई हैं। प्रवाचक व्दारा दिनांक 6–2–2008 से 16–1–2013 के बीचे 26 पेशियों पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया – अनुविभागीय अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण पर खामी होना दर्शाता है एंव ऐसे कार्य करने वाले प्रवाचक के दोष को परिमार्जित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इस आदेश एक प्रति कलेक्टर रीवा को कार्यवाही हेतु प्रथक से भेजी जावे।

5/ अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 14–3–14 से प्रकरण अदम पैरबी में खारिज हुये , पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन आने पर दिनांक 28–7–17 को (3 वर्ष 4 माह से अधिक अवधि उपरांत) प्रकरण पुर्नस्थापित कर लिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अंश उद्धरण इस प्रकार है :–

" इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कमांक अ–6/16–17 पारित आदेश दिनांक 28–7–17 के व्दारा इस प्रकरण में की गई अदम पैरबी की कार्यवाही को निरस्त करते हुये प्रकरण को सुनवाई में लिया जाकर गुणदोष के आधार पर निराकरण का आदेश पारित किया गया है। आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकरण कार्यवाही में लिया जाता है। उत्तरवादीगण तलब हों। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण आहुत हो।"

अनुविभागीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से विदित होता है कि उन्होंने केवल अपीलार्थी को सुनकर प्रकरण पुर्नस्थापित किया है जबकि 3 वर्ष 4 माह से अधिक अवधि पूर्व दिये गये आदेश दिनांक 14–3–14 से अदम पैरबी में खारिज हुये प्रकरण को पुर्नस्थापित करने के पूर्व अपील प्रकरण के उत्तरवादीगण को सुनना भी लाजमी था, जबकि प्रकरण पुर्नस्थापित करने के उपरांत उत्तरवादीगण को तलब करने का निर्णय लेने में अनुविभागीय अधिकारी ने भूल की है। सामान्य नियम है कि अत्याधिक समय व्यतीत होने के वाद एकपक्षकार के अधिकार समाप्त होते है एंव दूसरे पक्षकार को अधिकार प्रोद्भूत हो जाते है तब दूसरे पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को एकपक्षीय आदेश देकर विनष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–7–17 से उत्तरवादीगण को तलब किये जाने

के आदेश देने में एंव आगामी सुनवाई हेतु नियत पेशी 18–8–17 की पेशी पर धारा–5 के आवेदन पर अपीलार्थी की सुनवाई कर प्रकरण 29–8–17 को आदेश हेतु नियत करने में तथा दिनांक 29–8–17 को एकपक्षीय निर्णय लेकर धारा–5 के आवेदन को स्वीकार करने में भूल की गई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 29–8–17 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा व्दारा प्र0क0 51 अ–6/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह धारा–5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में हुई संपूर्ण कार्यवाही का परीक्षण करते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर